न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/211

दायरा तिथि : 16.06.2022

आदेश तिथि : 05-03-2024

प्रार्थीगण :–

1. श्री राहुल कुमार पुत्र रानाराम जाति मेघवाल, निवासी सूरसागर, जोधपुर जिला जोधपुर, राज.
2. जगाराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी रामासनी तहसील बिलाडा जोधपुर

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 05-03-2024

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 14, 15, 16 व 17 कुल खसरा 4 कुल रकबा 1.0000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 18 रकबा 2.0300 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2022/2162 दिनांक 18.07.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में वर्णित भूमि का मौका निरीक्षण के पश्चात वैकल्पिक रास्ता बाबत पुनः जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने पुनः जांच कर पत्रंक/राजस्व/2024/2075 दिनांक 23.02.2024 से वैकल्पिक रास्ता बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा के खसरा नंबर 14, 15, 16 व 17 कुल खसरा 4 कुल रकबा 1.0000 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। आवेदक खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प नहीं है। खातेदार उपरोक्त खसरा नंबर में मौके पर चल रहे रास्ते से आवागमन करता है।
2. प्रार्थी खातेदार को नजदीकी रास्ता प्रस्तावित रास्ते के अनुसार दिया जाना उचित है।
3. आवेदक खातेदारी भूमि आवगमन हेतु इसी रास्ते का उपयोग करता आ रहा है।
4. यह है कि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	18	2.0300 हैक्टर	गै.मु. भाखर	150X10= 1500 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

3. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) की डी.एल.सी. दर 98,928 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4 प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

पेज लगातार................02

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/211

अनवान राहुल कुमार वगेरा बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थीगण की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) तहसील बाली के खसरा नंबर खसरा नंबर 14, 15, 16 व 17 कुल खसरा 4 कुल रकबा 1.0000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा पुनः जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2075 दिनांक 23.02.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा के खसरा नंबर 14, 15, 16 व 17 कुल खसरा 4 कुल रकबा 1.0000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का सैणा तहसील बाली के खसरा नंबर 18 रकबा 2.0300 हैक्टर में से **1350 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राषि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 98928/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
18	2.0300 हैक्टर	150X9=1350 वर्गमीटर	10	13500X2=27000	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 27000/– (अक्षरे सताईस हजार रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
बाली (जिला-पाली) राज

क्रमॉक/कोर्ट/2024/321-330

दिनांक : 05-03-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1.तहसीलदार, बाली
2.निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3.पटवारी हल्का, सेणा
4.तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5.आवेदक श्री राहुल कुमार पुत्र रानाराम जाति मेघवाल, निवासी सूरसागर, जोधपुर जिला जोधपुर, राज. वगैरा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली (जिला–पाली) राज.

Scanned by CamScanner

उत्तर

नक्शा किश्तवार

ग्राम सेणा (कोलीवाड़ा)

तहसील - बाली

जिला - पाली

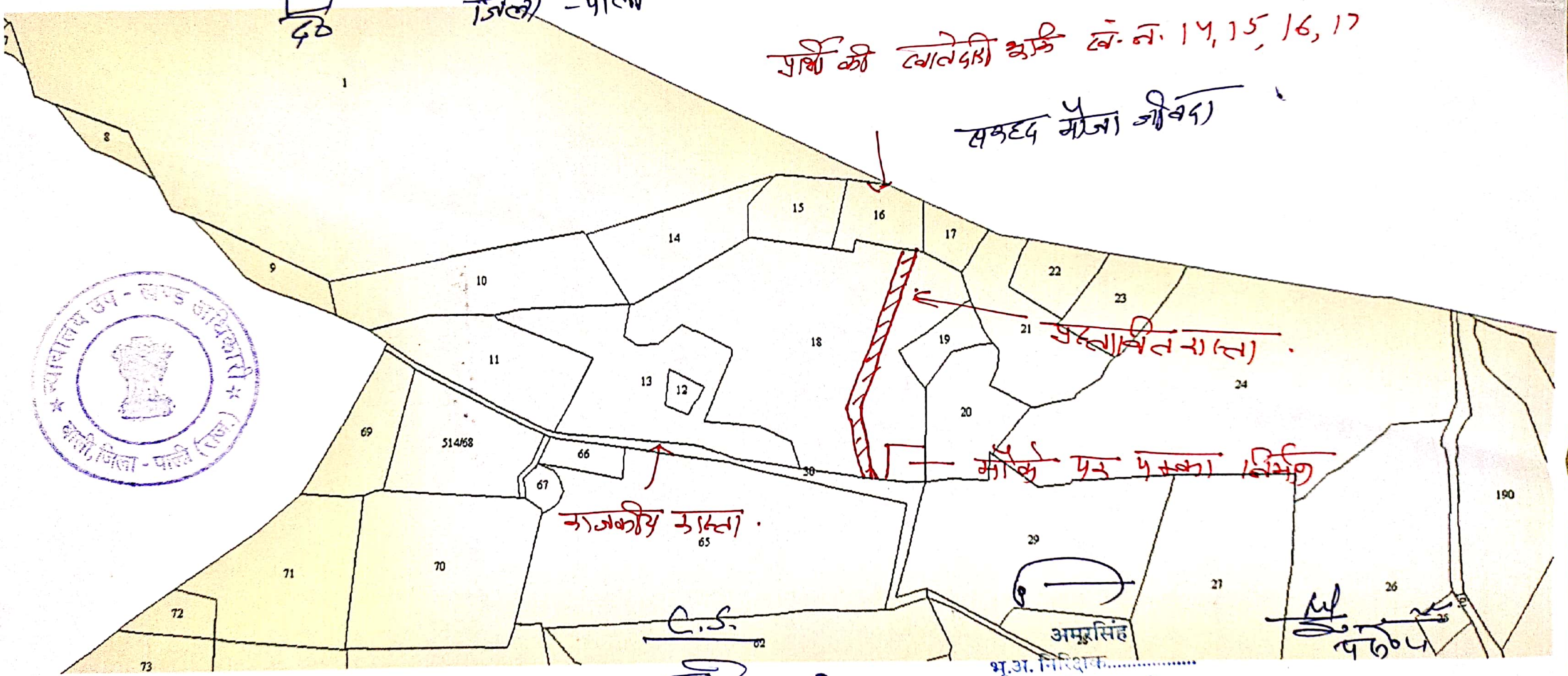

तहसीलदार, बाली

भू.अ. निरीक्षक........
तहसील - बाली

Scanned by CamScanner